

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर ।

विज्ञप्ति

क्रमांक 2179 / पी0ओ0 / 2025

इन्दौर, दिनांक, 05/08/25

शासकीय वाहन के विक्रय हेतु खुली नीलामी की शर्तें ।

1. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर के निम्नानुसार वाहन जो जहाँ है, तथा जिस हालत में है, के आधार पर विक्रय हेतु दिनांक 30/08/2025 समय दोपहर पश्चात 3 बजे से 5 बजे तक मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय परिसर इन्दौर में खुली नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा । जिसका विवरण निम्नानुसार है ।

वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार एवं मॉडल	वाहन की अपसेट कीमत रुपये	अपसेट कीमत की 10 प्रतिशत राशि नगद जमा करना है	वाहन कहाँ रखा हुआ है
MP02-AV-1802	Accent -2007	28,000/-	3,000/-	High Court Indore

- शासकीय वाहन का निरीक्षण नीलामी से एक दिवस पहले तक शासकीय कार्य दिवस में किया जा सकता है ।
- बोली लगाने वालों को एसेंट के लिये राशि रुपये, 3,000/- की प्रतिभूति राशि, आधार कार्ड की प्रति, पते का विवरण, मोबाईल नम्बर तथा यदि संस्था फर्म हो तो अधिकृत पत्र संलग्न कर नीलामी प्रारंभ होने के पूर्व 12.00 बजे तक बंद लिफाफे में नाम सहित कार्यालय में जमा करना होगा ।
- अपसेट प्राईज से अधिकतम बोली लगाने पर ही बोली समाप्त की जावेगी । उपरोक्त तिथि को नीलामी समाप्त नहीं हो पाने पर नीलामी अगली तिथि तक बढ़ाई जावेगी ।
- नीलामी बोली स्वीकृत होने पर वाहन की कीमत का 50 प्रतिशत राशि उसी दिन एवं शेष राशि 7 दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा कर वाहन ले जा सकेंगे । यदि कयकर्ता द्वारा सम्पूर्ण राशि 7 दिवस के अन्दर कार्यालय में जमा नहीं की जाती तो जमा प्रतिभूति राशि राजसात करते हुए वाहन उनसे कम बोली वाले केता जिसकी बोली अपसेट कीमत से अधिकतम है उसे विक्रय करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा ।
- वाहन बिना नम्बर प्लेट के सौंपा जावेगा ।
- वाहन का नवीन पंजियन नियमानुसार संबंधित क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी से 1 माह में स्वयं के व्यय पर करवाने के उपरान्त ही वाहन का निजी उपयोग किया जावेगा, जिसका बन्धक पत्रक 500 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज करवाकर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
- राशि जमा पश्चात वाहन एक सप्ताह तक नहीं लेजाने की स्थिति में रुपये 100/- प्रतिदिन प्रतिभूति चार्जस जमा करना होंगे ।
- बोली स्वीकार होने पर जमा प्रतिभूति राशि कीमत में समायोजित की जायेगी । शेष जमाकर्ता राशि अगले कार्यालय दिवस में वापस ले सकेंगे ।
- नीलामी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा । जो सभी पक्षों को मान्य होगा ।

4-8-25

प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खंडपीठ इन्दौर ।
Principal Registrar
High Court of Madhya Pradesh
Bench at Indore